



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक:- 27.10.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 10 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.10.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 10 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	स्योहारा	लडडन पुत्र वहीद नि० मौ० मुसिलम चौधरियान थाना स्योहारा बिजनौर
2	स्योहारा	वसीम अहमद पुत्र शखावत हुसैन नि० हयात नगर थाना स्योहारा बिजनौर
3	कोतवाली शहर	साकिर पुत्र अली हसन निवासी सिरधनी रोड़ थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4	नगीना	रविकांत पुत्र श्री बलवीर सिंह निवासी ग्राम पुरईनी थाना नगीना जनपद बिजनौर
5	बढ़ापुर	नरेन्द्र पुत्र धर्मपाल नि० ग्राम इस्लामाबाद थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
6	नूरपुर	मौ० अरशद पुत्र मौ० तस्लीम निवासी ग्राम अस्करीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
7	मंड़ावर	योगेन्द्र पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम रायपुर बेरीसाल थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर
8	मंड़ावर	मोहित पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शादीपुर थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर
9	मंड़ावर	शिवचरन पुत्र सुखराम सिंह निवासी ग्राम शादीपुर थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर
10	शेरकोट	जितेन्द्र उर्फ टाटा पुत्र महेन्द्र नि० ग्राम नंगला कोपा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर



थाना स्योहारा



थाना कोतवाली शहर



थाना नगीना



थाना बढापुर



थाना नूरपुर



थाना मंडावर



थाना शेरकोट



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 27.10.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 524/24 धारा 126(2)/74/65(1)/351(3)/333/123 बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.10.2024 को वादी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि शेर सिंह उर्फ आर्यन पुत्र प्रीतम निवासी गल्लाखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने कुछ माह पूर्व वादी की नाबालिग बहन का स्कूल से वापस आते समय रास्ता रोककर छेड़छाड़ की तथा अपने मोबाइल में जबरन उसके कुछ फोटो खींच लिये तथा इन्हीं फोटो को एडिट कर वादी की बहन को डरा-धमकाकर गलत काम किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने एवं आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गयी । कई दिन पूर्व आर्यन उपरोक्त ने घर में घुसकर वादी के परिजनों के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर वादी की बहन के साथ जबरन गलत काम करने का प्रयास किया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 524/24 धारा 126(2)/74/65(1)/351(3)/333/123 बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम बनाम आर्यन उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 27.10.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शेरसिंह उर्फ आर्यन पुत्र प्रीतम निवासी ग्राम गल्लाखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शेर सिंह उर्फ आर्यन पुत्र प्रीतम निवासी गल्लाखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.श्री अमित कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.उ0नि0 श्री अमूल मिश्रा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 4.कां0 2135 अमित भाटी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 5.कां0 1660 अजय थाना स्योहारा जनपद बिजनौर